

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2020/17
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/P/20/00006
CICOM/R/2019/00779

दिनांक: 16.01.2020

अपीलकर्ता : श्री सुशील कुमार मलिक,
9144/4, तृतीय तल, मुल्तानी ढांडा,
नई दिल्ली - 110055.

निर्णय की तारीख: 16.01.2020

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	17.10.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	25.11.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर. पी. गोवर
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	27.12.2019
प्रथम अपील की डायरी सं.	20900/02.01.2020

1. आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से मांगी गई सूचना का संक्षिप्त व्यौरा:

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 17.10.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग को प्रेषित अपने पत्र (डायरी सं. 114055 दिनांक 27.03.2019) पर की गई कार्यवाही एवं उक्त पत्र के आलोक में पी.आई.ओ. श्रीमती प्रवीण कुमारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं किए जाने के कारणों से संबंधित तीन बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी।

2. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना:-

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री आर. पी. गोवर द्वारा प्रदान की गई बिंदुवार सूचना निम्नानुसार है:-

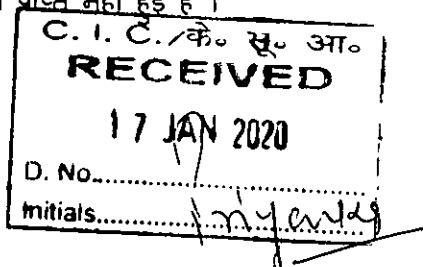
1 to 3 : "No action has been taken on petition dated 27.03.2019 received in the Commission vide dairy no. 114055. Your petition is against the decision of the Commission. As per the RTI Act decision of the Commission is quasi judicial and final and binding on all the concerned parties".

प्रथम अपील का आधार:-

3. अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि "केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी जी का पत्र डाक द्वारा 25/11/19 का लिख हुआ पत्र दिनांक 29/11/19 को मिला, जिसमें मेरे द्वारा मांगी गई सूचना न देकर केवल खानापूति करके भेज दिया गया" तथा अनुरोध किया है कि "(i) मेरी अपील पर सुनवाई करने की कृपा करें तथा CPIO (CIC) को मेरे द्वारा मांगी गई सूचना देने का आदेश देने की कृपा करें। (ii) गलत सूचना देने व मुझे गुमराह किया इसलिए CPIO (CIC) के विरुद्ध सूचना का अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाए"।

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी की टिप्पणी:-

4. प्रथम अपील का तर्कसंगत निपटान के लिए प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, श्री आर. पी. गोवर से लिखित टिप्पणी मांगी गई, परन्तु केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से अभी तक कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।



P.T.O.

प्रथम अपील की सुनवाई:

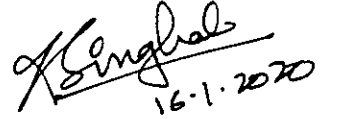
5. प्रस्तुत प्रथम अपील का तर्कसंगत निस्तारण हेतु अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील आवेदन में दिए गए मोबाइल नं. 9868485544 पर दिनांक 16.01.2020 को मामले की सुनवाई की गई।

निष्कर्ष एवं निर्णय:

6. प्रथम अपील की सुनवाई एवं उपलब्ध सभी दस्तावेजों के अवलोकन करने के पश्चात प्रथम अपीलीय अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री आर. पी. गोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचनाएं बिल्कुल तथ्यानुसार एवं सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत ही हैं तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

7. तदनुसार प्रथम अपील निस्तारित की जाती है।

8. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।


16.1.2020

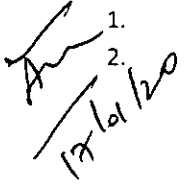
(योगेश कुमार सिंघल)

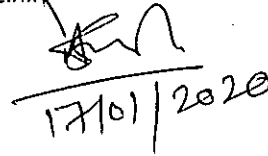
प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
2. Sh. R. P. Grover, CPIO & DO to IC (YS), CIC, New Delhi.


17/01/20


17/01/2020

17/01/2020